पत्रांक–01उ0त0शि0 / कोर्ट केस–10 / 2017– 989

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(तकनीकी शिक्षा निदेशालय)

योजना भवन, नेपाल हाऊस कैम्पस, डोरण्डा, राँची–834002, झारखण्ड

राँची, दिनांक– 12/09/2025

संकल्प

विषय :– **W.P.(S) No.-5046/2013-गंगा प्रसाद चौधरी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य सरकार एवं अन्य मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2023 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में बी0आई0टी0 सिन्दरी, धनबाद के सेवानिवृत / मृत प्रदर्शक जो UGC के पत्र संख्या सं० F-3-2/99 (ps), दिनांक–21.07.1999 की कंडिका 05 में निहित प्रावधान / अनुशंसा के आलोक में वेतनमान 5500–9000 में 8300 रू0 प्रक्रम पर पहुँच चुके या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, जो भी बाद में हो, के शर्त को पूरा करते हैं, को व्याख्याता के वेतनमान रू0 8000–13500 के व्यक्तिगत वेतन की स्वीकृति के संबंध में।**

W.P.(S) No.-5046/2013-गंगा प्रसाद चौधरी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य सरकार एवं अन्य मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–11.05.2023 को न्याय निर्णय पारित किया गया है, जिसका मुख्य भाग निम्नवत् है:–

" 4. This Court, having heard learned counsel for the parties and taking into consideration the fact that similar grievance was raised by petitioners-Arjun Kumar and others in W.P.(S) No. 5184/2013 which was disposed of by this Court directing the concerned respondents to take decision on the basis of grievance, if ventilated by the writ petitioner and in view thereof decision was taken by the respondents on 03.02.2022 holding the writ petitioners entitled for the reliefs as sought for, is of the view that petitioners are also entitled for similar relief as is being prayed by writ petitioners in the instant writ petition.

5. This Court considering the aforesaid fact is of the view that the instant writ petition is also required to be disposed of giving liberty to the writ petitioner to make individual representation before respondent no. 2 within the period of six weeks. In turn thereof, the respondent no. 2 will take decision on the claim of the petitioner by taking decision in accordance with law within a period of six thereafter.

Needless to say that while taking such decision the case of the individual writ petitioner is to be examined with the fact of the case of writ petitioners in W.P. (S) No. 5184/2013 and if it is found that the writ petitioners are entitled for the monetary benefits the same shall be disbursed in their favour within a further period of six weeks from taking such decision. in case of any adverse decision whatsoever, the same shall be communicated to the petitioner within the similar period."

2. W.P.(S) No.-5046/2013-गंगा प्रसाद चौधरी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक–11.05.2023 को पारित न्याय निर्णय के अनुसार वादियों

को Individual रूप से प्रतिवादी संख्या–02 (Principal Secretary, Science & Technology Department, Jharkhand) के समक्ष 06 सप्ताह के अंदर अभ्यावेदन समर्पित करने तथा अभ्यावेदन पर 06 सप्ताह के अंदर प्रतिवादी संख्या–02 को निर्णय लिये जाने का निदेश दिया गया।

3. W.P.(S) No.-5046/2013 गंगा प्रसाद चौधरी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य के सभी वादीगण बी०आई०टी० सिन्दरी में प्रदर्शक रहे हैं, जो वर्तमान में सेवानिवृत अथवा मृत हो चुके है। W.P.(S) No.-5046/2013 गंगा प्रसाद चौधरी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य मामले में दिनांक–11.05.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में बी०आई०टी० सिन्दरी के सेवानिवृत प्रदर्शकों एवं मृत हो चुके प्रदर्शकों की पत्नियों द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

4. W.P.(S) No.-5046/2013-गंगा प्रसाद चौधरी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य के 22 वादीगण निम्नवत् है–

1. Ganga Prasad Choudhary 2. M- K- Sinha 3. Mobin Ashraf 4. Shasti Sekhar Banerjee 5. Harendra Prasad Singh 6. Saroj Kumar Majumdar 7. Lakshman ch Bauri 8. Shailesh kumar Verma 9. Kamta Singh 10. Savitri Devi 11. Devendra Kumar Vishwakarma 12. Gita Devi 13. Ghanshyam Jha 14. Ram Bilas Rai 15. Anant Dei Mistry 16. Mithila Sharan Singh 17. Kedar Nath Ojha 18. Md- Majibullah Ansari 19. Murli Manohar Prasad 20. Makeshwar Prasad 21. Ramji Prasad Gupta 22. Sita Ram Mahto.

5. उल्लेखनीय है कि W.P.(S) No.-5184/2013 अर्जुन कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य मामले में माननीय झाखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक–20.01.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय तार्किक आदेश संख्या–741, दिनांक–06.04.2016 में पारित आदेशों के संदर्भ में श्री अर्जुन कुमार, श्री ब्रजेश कुमार सिंह, श्री सुरेन्द्र भगत एवं श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रयोगशाला सहायकों को विभागीय ज्ञापांक–139, दिनांक–03.02.2022 द्वारा UGC के पत्र संख्या सं0 F–3–2/99 (ps), दिनांक–21.07.1999 की कंडिका 05 में निहित प्रावधान/अनुशंसा तथा वित्त विभाग के द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में वेतनमान 5500–9000 में 8300 रू0 प्रक्रम पर पहुँच गये या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, जो भी बाद में हो, को व्याख्याता के वेतनमान रू0 8000–13500 के व्यक्तिगत वेतन स्वीकृत किया गया है।

6. W.P.(S) No.-5184/2013 अर्जुन कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य मामले के कुल 04 (चार) प्रदर्शकों के पदनाम एवं कर्त्तव्य में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वित्त विभाग के द्वारा दिये गये परामर्श के आलोकं में विभागीय संकल्प संख्या–1194, दिनांक–31.10.2019 से संबंधित प्रदर्शकों यथा श्री अर्जुन कुमार, श्री ब्रजेश कुमार सिंह, श्री सुरेन्द्र भगत एवं श्री अवधेश कुमार सिंह के संबंध में लिए गये निर्णय तक ही सीमित रखते हुए इन प्रदर्शकों को वास्तविक लाभ दिनांक–15.11.2000 की तिथि से स्वीकृति दी गई है।

7. W.P.(S) No.-5046/2013-गंगा प्रसाद चौधरी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य के मामले की individual रूप से जांच की गई, जाँच के उपरांत यह पाया गया कि W.P.(S) No.-5046/2013-गंगा प्रसाद चौधरी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य के मामले W.P.(S) No.-5184/2013 अर्जुन कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य के समान रहने के कारण विभागीय तार्किक आदेश संख्या–397, दिनांक–09.05.2024 द्वारा उपरोक्त कंडिका 4 में अंकित सेवानिवृत/मृत प्रदर्शक जो UGC के पत्र संख्या सं0 F-3-2/99 (ps), दिनांक–21.07.1999 की कंडिका 05 में निहित प्रावधान/अनुशंसा के आलोक में वेतनमान

5500–9000 में 8300 रू0 प्रक्रम पर पहुँच चुके या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, जो भी बाद में हो, के शर्त को पूरा करते हैं, को व्याख्याता के वेतनमान रू0 8000–13500 के व्यक्तिगत वेतन की स्वीकृति के फलस्वरूप दिनांक–15.11.2000 से राशि का भुगतान वित्त विभाग से वेतन सत्यापन के पश्चात् देय होगा, उक्त प्रदर्शकों के पदनाम एवं कर्तव्य में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, आदेश पारित किया गया।

8. W.P.(S) No.-5046/2013-गंगा प्रसाद चौधरी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य के मामले W.P.(S) No.-5184/2013 अर्जुन कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य के समान रहने के कारण विभागीय तार्किक आदेश संख्या–397, दिनांक–09.05.2024 द्वारा उपरोक्त कंडिका 4 में अंकित सेवानिवृत/मृत प्रदर्शक जो UGC के पत्र संख्या सं0 F-3-2/99 (ps), दिनांक–21.07.1999 की कंडिका 05 में निहित प्रावधान/अनुशंसा के आलोक में वेतनमान 5500–9000 में 8300 रू0 प्रक्रम पर पहुँच चुके या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, जो भी बाद में हो, के शर्त को पूरा करते हैं, को व्याख्याता के वेतनमान रू0 8000–13500 के व्यक्तिगत वेतन की स्वीकृति के फलस्वरूप दिनांक–15.11.2000 से राशि का भुगतान किये जाने संबंधी संलेख पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने क्रम में वित्त विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि *"माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P. (S) No.- 6207/2016 में पारित न्यायादेश के आलोक में तत्संबंधी UGC द्वारा अनुशंसित वेतनमान का वास्तविक लाभ, रिट याचिका दायर करने की तिथि से 3 (तीन) वर्ष पूर्व से दिया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में W.P. (S) No.- 6207/2016 के अनुरूप प्रस्तुत मामले में भी अनुमान्य लाभ दिया जाना प्रासंगिक होगा।"* उक्त परामर्श के आलोक में UGC द्वारा अनुशंसित वेतनमान का वास्तविक लाभ, रिट याचिका दायर करने की तिथि से 03 (तीन) वर्ष पूर्व से दिया जाना है। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्त्ताओं द्वारा दिनांक–13.08.2013 को याचिका दायर किया गया है।

9. वित्त विभागीय परामर्श के आलोक में निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी ने वादियों के वास्तविक लाभ (याचिका दायर करने की तिथि दिनांक–13.08.2013 से 03 वर्ष पूर्व अर्थात दिनांक–13.08.2010 से) का अनुमानित व्यय भार रू0 18,81,092/– मात्र उपलब्ध करायी गयी है।

10. अतः उपरोक्त के आलोक में:–

(i) संलेख की कंडिका 4 में अंकित सेवानिवृत/मृत प्रदर्शक जो UGC के पत्र संख्या सं० F-3-2/99 (ps), दिनांक–21.07.1999 की कंडिका 05 में निहित प्रावधान/अनुशंसा के आलोक में वेतनमान 5500–9000 में 8300 रू0 प्रक्रम पर पहुँच चुके या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, जो भी बाद में हो, के शर्त को पूरा करते हैं, को व्याख्याता के वेतनमान रू0 8000–13500 के व्यक्तिगत वेतन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही उक्त प्रदर्शकों के पदनाम एवं कर्तव्य में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा।

(ii) उक्त व्यक्तिगत वेतनमान रू0 8000–13500 की स्वीकृति के फलस्वरूप अनुमान्य वास्तविक लाभ का भुगतान याचिकाकर्ता द्वारा याचिका दायर करने की तिथि दिनांक–13.08.2013 से 03 (तीन) वर्ष पूर्व अर्थात दिनांक–13.08.2010 से वित्त विभाग से वेतन सत्यापन के पश्चात् देय होगा।

(iii) उक्त हेतु रूपये 18,81,092/– (अठारह लाख इक्कासी हजार बानवे रूपये) मात्र संभावित व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

11. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–02.09.2025 में मद संख्या–41 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

11.9.25

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01उ0त0शि0/कोर्ट केस–10/2017–989 /राँची, दिनांक– 12/09/2025

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

11.9.25
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01उ0त0शि0/कोर्ट केस–10/2017–989 /राँची, दिनांक– 12/09/2025

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

11.9.25
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01उ0त0शि0/कोर्ट केस–10/2017–989 /राँची, दिनांक– 12/09/2025

प्रतिलिपि–निबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी, धनबाद/संबंधित सरकारी अधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सभी संबंधित सेवानिवृत प्रदर्शक/मृत प्रदर्शक के आश्रित/विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट/श्री कुमार चन्दन, MIS पदाधिकारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11.9.25
सरकार के प्रधान सचिव।